न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2008

CIS No.-398/2018

प्रेमा साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मनेजर साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.03.2025	उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिस्थातिप प्रतिवादी सं0–02 (क) एवं 02 (ख) की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.03.2025 अंतर्गत धारा–151 व्य0 प्र0 सं0 को प्रतिवादी सं0– 2(क) एवं 02 (ख) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–02 युगल पासवान द्वारा दिनांक 24.08.2010 को अपना बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0–02 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी की समस्त कंडिका हमलोगों की जानकारी में सही वो दुरूस्त है। प्रतिवादी सं0–02 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ही हमलोग अपना बयान तहरीरी के रूप में स्वीकार करते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0–02 के बयान तहरीरी को प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–2(क) एवं 02 (ख) का बयान तहरीरी के रूप में स्वीकार करने की कृपा प्रदान किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–02 के द्वारा दिनांक 24.08.2010 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके। प्रतिवादी सं0–2(क) एवं 02 (ख) को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–98/2008

CIS No.-398/2018

प्रेमा साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मनेजर साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.03.2025	अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–2(क) एवं 02 (ख) का आवेदन दिनांक 28.03.2025 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 05.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	